पत्रांक–बि0प्र0सु0मि0सो0/विविध–15/2010(खण्ड) सो0–733

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
प्रधान सचिव–सह–मिशन निदेशक,
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी विभागीय प्रधान सचिव,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–10 जुलाई 2015

विषयः– **बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी द्वारा संविदा पर नियोजित कार्यपालक सहायक द्वारा अधिष्ठापित कम्प्यूटर सेट की अप्रत्याशित घटना के कारण चोरी/नष्ट होने पर इसकी व्यवस्था करने के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी द्वारा संविदा पर नियोजित कार्यपालक सहायक द्वारा अधिष्ठापित कम्प्यूटर सेट की अप्रत्याशित घटना के कारण चोरी/नष्ट होने की स्थिति में सभी जिला पदाधिकारी को यह निदेश दिया जाता है कि कम्प्यूटर क्षतिग्रस्त होने अथवा चोरी होने की स्थिति में क्रय कर मिशन कार्यालय से राशि की अधियाचना की जाए। किसी भी स्थिति में कम्प्यूटर चोरी होने अथवा क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में संबंधित कार्यपालक सहायक को कम्प्यूटर खरीदने के लिए बाध्य न किया जाए। साथ ही ऐसे मामलों में मानदेय के भुगतान में किसी प्रकार की कटौती न की जाए। यदि कार्यालय में अन्य कोई सरकारी कम्प्यूटर सिस्टम उपलब्ध हो तो जिस कार्यपालक सहायक का कम्प्यूटर सिस्टम चोरी हुआ हो उन्हें कार्य करने हेतु उपरोक्त सिस्टम पर कार्य करने की उन्हें अनुमति दी जाए।

इस विषय पर पूर्व से निर्गत मिशन कार्यालय के पत्रांक–525 दिनांक–21.05.2013 एवं पत्रांक–612 दिनांक–17.06.2015 का अक्षरशः अनुपालन किया जाए। सुलभ प्रसंग के लिए उक्त पत्रों की प्रति संलग्न है।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(आमिर सुबहानी) 10.7.15
प्रधान सचिव–सह–मिशन निदेशक

Scanned with CamScanner